न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42/19	03.04.2019	10.10.2019

1. दौलतराम पुत्र श्री तुलसीराम जाति जाट निवासी जालाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–वादी

–:बनाम:'–

1. निभाना पुत्र बालुमल
2. गुलशन पुत्र राणा
3. बडो पत्नी राणा जाति राजपूत निवासी मूनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 हाल निवासी ई0 111 संजय कालोनी भाटी माइन्स नई दिल्ली, 110074,
4. उप पंजियक महोदय कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
5. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री कप्तान भारद्वाज अभिभाषक वादी

वादी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा आराजी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस काशय का पेश किया कि हाल आराजी ख0सं0 274 रकबा 0–06 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान जो कि साबिक ख0 सं0 179 रकबा 0–06 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 से पैमूद हुए है।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 179 मृतक बालूमल पुत्र बेडामल राजपूत ग्राम मुनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम जो हिन्दु पाक विभाजन के समय ग्राम मुनपुर ठाकरान में आकर विस्थापित हुये थे उस समय राज्य सरकार द्वारा अन्य आराजीयात के साथ आवंटन की गई थी। की जिनके नाम का साबिक जमाबदीयो में गैर खातेदारी का अमल दरामद हो रहा है। बालूमल की मृत्यु के बाद बालूमल की समस्त गैर खात्तेदारी आराजीयात की सनद खातेदारी दिनांक 10.07.2017 को सनद संख्या 948(70) में प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

की थी सनद पट्टे में बालूमल की पत्नी मोरी बाई का नाम दर्ज है। तथा मिन वादी ने मोरी बाई को विवादित आराजी की समस्त प्रतिफल राशि बाकायदा बाजाप्ता अदा कर बाकब्जा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विवादित आराजी को मिन वादी ने मोरी बाई से तहरीर दिनांक 03.11.1970 तस्दीक दिनांक 04.11.1970 उप पंजियक किशनगढ़ बास के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 45 पृष्ठ संख्या 161 से 162 क्रम संख्या 1171 पर पंजिबद्ध किया गया है। बबाद तस्दीक बैयनामा मिन वादी ने वास्ते दर्ज करवाने इन्तकाल असल बैयनामा पटवारी हल्का को सौंप दिया था तथा पटवारी हल्का द्वारा मिन वादी को विश्वास दिलाते हुये कहा की आप निश्चिन्त रहे मैं बैयनामा के आधार पर आपके हक में इन्तकाल दर्ज कर स्वीकार करवा लूँगा। मिन वादी वक्त खरीद से ही विवादित आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। विक्रेताणी मोरीबाई पत्नी बालूमल की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वाद में उनके विधिक वारिसान होने के नाते पक्षकार मुकदमा बनाये गये है।

मिन वादी को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु माह मार्च 2019 में विवादित आराजी की जमाबंदी की आवश्यकता पडी तब हल्का पटवारी ने मिन वादी का नाम का अमल होना ना बताया। तभी रिकॉर्ड प्राप्त कर वाद दायर किया। अतः वाद डिक्री फरमाया जाकर बैयनामा के आधार पर विवादित आराजी का मिन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता/ दादा/ससुर मृतक बालूमल पुत्र बेडामल राजपूत का नाम हाल जमाबंदी से कलमजन किया जावे।

वादा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही। इसलिए इनके खिलाफ 30.07.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने साक्ष्य में पी0डब्लू–1, पी0डब्लू–2, पी0डब्लू–3, के शपथ पत्र पेश किये।

बहस विद्वांन अधिवक्ता सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया ओर कहा कि हाल आराजी ख0सं0 274 रकबा 0–06 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान जो कि साबिक ख0 सं0 179 रकबा 0–06 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 से पैमूद हुए है।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 179 मृतक बालूमल पुत्र बेडामल राजपूत ग्राम मुनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम जो हिन्दु पाक विभाजन के समय ग्राम मुनपुर ठाकरान में आकर विस्थापित हुये थे उस समय राज्य सरकार द्वारा अन्य आराजीयात के साथ आवंटन की गई थी। की जिनके नाम का साबिक जमाबदीयो में गैर खातेदारी का अमल दरामद हो रहा है। बालूमल की मृत्यु के बाद बालूमल की समस्त गैर खातेदारी आराजीयात की सनद खातेदारी दिनांक 10.07.2017 को सनद संख्या 948(70) में प्राप्त की थी सनद पट्टे में बालूमल की पत्नी मोरी बाई का नाम दर्ज है। तथा मिन वादी ने मोरी बाई को विवादित आराजी की समस्त प्रतिफल राशि बाकायदा बाजाप्ता अदा कर बाकब्जा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विवादित आराजी को मिन वादी ने मोरी बाई से

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

तहरीर दिनांक 03.11.1970 तस्दीक दिनांक 04.11.1970 उप पंजियक किशनगढ़ बास के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 45 पृष्ठ संख्या 161 से 162 क्रम संख्या 1171 पर पंजिबद्ध किया गया है। बबाद तस्दीक बैयनामा मिन वादी ने वास्ते दर्ज करवाने इन्तकाल असल बैयनामा पटवारी हल्का को सौंप दिया था तथा पटवारी हल्का द्वारा मिन वादी को विश्वास दिलाते हुये कहा की आप निश्चिन्त रहे मैं बैयनामा के आधार पर आपके हक में इन्तकाल दर्ज कर स्वीकार करवा लूँगा। मिन वादी वक्त खरीद से ही विवादित आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। विक्रेताणी मोरीबाई पत्नी बालूमल की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वाद में उनके विधिक वारिसान होने के नाते पक्षकार मुकदमा बनाये गये है।

मिन वादी को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु माह मार्च 2019 में विवादित आराजी की जमाबंदी की आवश्यकता पडी तब हल्का पटवारी ने मिन वादी का नाम का अमल होना ना बताया। तभी रिकॉर्ड प्राप्त कर वाद दायर किया। अतः वाद डिक्री फरमाया जाकर बैयनामा के आधार पर विवादित आराजी का मिन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता/ दादा/ससुर मृतक बालूमल पुत्र बेडामल राजपूत का नाम हाल जमाबंदी से कलमजन किया जावे।

विद्वांन वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड बैयनामा जो मोरी बाई बेवा बालूमल ने दोलतराम पुत्र तुलसीराम जाट जालका को कराई है का अवलोकन किया। हल जमाबंदी सम्वत 2072–75 में ख0न0 274 रकबा 6 बिस्वा बालूमल पुत्र बेडामल राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 274/0–06 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता/दादा/ससूर मृतक बालूराम पुत्र बेडामल का नाम हाल हमाबंदी से हजफ कर वादी के नाम का इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

धीरेन्द्र सिंह (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42/19	03.04.2019	10.10.2019

1. दौलतराम पुत्र श्री तुलसीराम जाति जाट निवासी जालाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–वादी

–:बनाम:'–

1. निभाना पुत्र बालुमल
2. गुलशन पुत्र राणा
3. बडो पत्नी राणा जाति राजपूत निवासी मूनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 हाल निवासी ई0 111 संजय कालोनी भाटी माइन्स नई दिल्ली, 110074,
4. उप पंजियक महोदय कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
5. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री कप्तान भारद्वाज अभिभाषक वादी

अतः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 274/0–06 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता/दादा/ससूर मृतक बालूराम पुत्र बेडामल का नाम हाल हमाबंदी से हजफ कर वादी के नाम का इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

धीरेन्द्र सिंह (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner